अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. अपील/प्र 14/2012 ... [illegible] / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.01.23	पत्रावली [illegible] / आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजका[illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 03/02/23 को पेश हो।	
03/2/2023	पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 8/2/2023 को पेश हो।	
8/2/2023	वकुलाम उपस्थित अपीलार्थी व 2 के [illegible] नोटिस [illegible] [illegible] एक माह के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपस्थित [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 09/2/2023 को पेश हो	
9/2/2023	वकुलाम उपस्थित [illegible] अपील पत्र [illegible] पर उपस्थित [illegible] अधिवक्ता [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 10/02/2023 को पेश हो	
10/02/2023	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण में दिनांक 16-03-2012 को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] धारा 83 में [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:37 IST
Reason: SelfAttested

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. ....प्रार्थना पत्र 14/2012 - RCMS 2021/00140

मगनीदेवी / रामलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	भूमि का बेचान 16.4.81 को दुलहाराम नारायणराम श्रीकृष्ण पुत्र भींयाराम रेगर (बुनकर) श्रीमती मगनीदेवी पत्नी श्रीप्रकाश रेगर (बुनकर) को किया गया। जिसका नामान्तरकरण इन्द्राज किया हुआ तथा नये खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786 से 798 808, 810, 811, 812, 813 815 व 823 858, 860 2657/810 - 2657/823 2655/823 2653/823 2654/810 कुल रकबा 30.8785 हैक्टेयर रही है जिसके प्रार्थिया के 1/2 हिस्सा बाबत की अप्रार्थीगण का जवाब मे कथन है कि दुलहाराम 1/4 नारायणराम 1/4 श्रीकृष्ण 1/4 मगनीदेवी 1/4 हिस्से के काबिज काश्तकार है तथा इन्हीं का कब्जा कायम है।	
	प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि को लेकर 1/2 हिस्से तथा 1/4 हिस्से को लेकर विवाद है जिसका निर्णय राजस्व वाद मे विचाराधीन निर्णीत किये जाकर तय किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु किसी भी तरह से प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत नहीं होते है। अतः पूर्व मे दिनांक 16.03.2012 को जारी अस्थाई रोक निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 212 R.T.Act प्रार्थिया का स्वीकार नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार ... हेतु दाखिल दफ्तर हो।	
	आदेश आज दिनांक 13/02/2023 को खुले इजलास सुनाया गया।	
	(बाबूलाल जाट) RAS उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:37 IST
Reason: SelfAttested